



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125014

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19295/2026

योगेन्द्र मौर्य

.....आवेदक

बनाम

यूपी राज्य

.....विपक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : दुर्गा प्रसाद सिंह

विपक्ष के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या-4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री दुर्गा प्रसाद सिंह और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री रोशन कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 0343 सन् 2026, धारा 64(1), 115(2) बी.एन.एस., पुलिस थाना-गुलारिहा, जिला-गोरखपुर में विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक और पीड़िता के बीच विवाह से पहले संबंध थे और आवेदक ने पीड़िता की कुछ अश्लील तस्वीरों के आधार पर उसे भयादोहन किया और 19.03.2026 को उसके साथ बलात्कार किया; इसके बाद पीड़िता 22.03.2026 को उसके घर आई; आवेदक ने फिर से नशे की हालत में पीड़िता के घर पर उसके साथ गलत काम किया और उसे अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया। आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक और पीड़िता के पति तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों के बीच पैसों का विवाद था, जिसमें

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पीड़िता के परिवार के सदस्यों ने आवेदक की पिटाई की थी। इसके लिए आवेदक ने 23.03.2026 को धारा 109 बीएनएसएस के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रतिक्रियात्मक, आवेदक के खिलाफ 27.04.2026 को वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। हालांकि ऐसी कोई चिकित्सीय रिपोर्ट नहीं है जो पीड़िता के साथ आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार की हिंसा को दर्शाती हो, फिर भी आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 28.04.2026 से कारागार में है। यह निवेदन किया गया कि पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की सह-अपराधिता, कारागारों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए, साथ ही कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आदेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **योगेंद्र मौर्य** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण / जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
 - iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।
7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसकी पुष्टि संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ की जाएगी कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
10. यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।
11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह संदर्भ: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 में जमानत देने की नीति रणनीति, जो (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 31.01.2023 के आदेश और रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 में पिला पहन @ पीला पाहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 29.05.2026 के आदेश, का पालन करते हुए, इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के ज़रिए 24 घंटे के भीतर ईमेल या ई-जेल पोर्टल से आवेदक को और ई-मोड के माध्यम से विचारण न्यायालय को भेजे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

3 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।